

4.8.21

उमय पदा अनु०

मसिलेख दिनांक 18.8.2021 को रखी

18/8/21

उमय पदा अनु०/ काफ़ी समय से
उमय पदा अनुपस्थित हैं अतः
उपलब्ध नद्यों एवं साक्ष्यों के
आधार पर आदेश पारित किया
जाता है।

अवगान नामान्तरण अधीन
अंचल अधिकारी बग़ोदर द्वारा
नामान्तरण बाद सं० 75 R 20/2019-2020
में पारित आदेश के विरुद्ध आपरा
गया है। अंचल अधिकारी द्वारा
अपने अल्लोयिडि आदेश में अंकित
किया गया है कि ऑन लाईन जमाबंदी
में विडोना की जमाबंदी कायम नहीं है,
अतः अल्लोयिडि किया जाता है। अंचल
अधिकारी को रिमांड करते हुए आदेश
दिया जाता है कि जमाबंदी की जांच
कर पुनः आदेश पारित करें।

आदेश से अंचल अधिकारी एवं
उमय पदाओं को अवगान करावे।

18/8